न्यायालय सिविल जज जू०डि०, खलीलाबाद स्थान– बस्ती

मूलवाद सं० 239/2007

सुरेमना बनाम राजेन्द्र प्रसाद आदि

C.N.R.No. UPBS120000532007

<u>29.01.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 123 क^{2} पर सुना–

प्रार्थनापत्र 123 क^{2} वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं० 4 बनारसी की मृत्यु दिनांक 28.07.2010 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिसान उनके पुत्र राजनरायन एवं प्रेम नरायन हैं। अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। अतः मृतक के विधिक वारिसानों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र 125 ग^{2} वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी 80 वर्ष की वृद्ध, अशिक्षित एवं देहाती महिला है। प्रार्थिनी को मुकदमे में होने वाली प्रतिस्थापन कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए समय से दरख्वास्त वरासत नहीं दी जा सकी। वकील साहब से मिलने पर उन्होंने वरासत दरख्वास्त देने की सलाह दिया। तब तत्काल प्रार्थनापत्र दाखिल किया जा रहा है। प्रार्थिनी ने जानबूझकर गलती नहीं की है। ऐसी दशा में प्रार्थनी को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देकर, दरख्वास्त वरासत को स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 123 क^{2} प्रतिवादी सं० 4 बनारसी की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके वारिसानों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र 124 ग 2 से समर्थित है। वादी द्वारा विलंब की बावत प्रार्थनापत्र 125 ग^{2} प्रस्तुत करते हुए धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने की बात कही गई। वादी को धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः न्यायालय की राय में, विलम्ब के बाबत प्रार्थनापत्र 125 ग^{2} हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र 123 क^{2} न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 125 ग^{2} मु० 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र 123 क^{2} स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर /अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 15.04.2020 को पेश हो। टी०आई० नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज जू०डि०,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती
(J.O.Code UP 2272)